(122)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–धार

निगरानी – 2713/2018/धार/भू.रा

श्री ... द्वारा आज दि. 03.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 09.5.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1 महेश पुत्र श्री गंगाराम मारू
2 रमेश पुत्र श्री छीतु काछी
निवासी– ग्राम कुवाली तहसील मनावर जिला – धार (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

अंतर सिंह पुत्र श्री हबेसिंह राजपूत
निवासी– ग्राम कुवाली तहसील मनावर जिला – धार (म.प्र.)

–– अनावेदक

**न्यायालय नायब तहसीलदार मनावर जिला धारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

03/05/18

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1 यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदकगण की जानकारी के बिना उसके पीठ पीछे भूमि का सीमांकन कराया गया है, सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही उनके समक्ष सीमांकन कार्यवाही की गयी है।

2 यहकि, राजस्व निरीक्षक आवेदकगण की जानकारी के बिना की गयी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो वर्तमान समय मे माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

3 यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी प्रकरण विचाराधीन है इसी दौरान अनावेदक द्वारा तहसीलदार धार के समक्ष एक आवदेन पत्र संहिता की धारा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2713/2018/धार/भू.रा. जिला धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11.04.2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, जिला धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। उभय पक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला धार के समक्ष दिनांक 30.05.2019 को उपस्थित हों।<br><br>अध्यक्ष | |